

मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-3-1/2014/25-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 जून, 2014

आयुक्त,
आदिवासी विकास म.प्र.
भोपाल ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 20 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना की स्वीकृति बाबत ।
संदर्भ:- आपकी यू.ओ.टी.प. क्रमांक 7524, दिनांक 30/04/2014

12 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसरों को आदिवासी विकास खण्डों में वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 29.40 प्रतिशत से जिन विकासखण्डों की साक्षरता दर कम है, ऐसे महिला साक्षरता वाले 20 विकासखण्डों में कन्या साक्षरता वृद्धि के लिये 20 आवासीय 245 सीटर कन्या शिक्षा परिसर सहमति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 28.8.2012 द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना एवं पद निर्माण का निर्णय लिया गया है ।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 20 कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना अंतर्गत निम्नानुसार आदिवासी जिलों में कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना एवं पदों के सृजन सहित मांग संख्या 41-2225-762 मद अंतर्गत राशि रुपये 17520.00 लाख (रुपये सत्रह हजार पांच सौ बीस लाख) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स.क्र	प्रस्तावित विकास खण्ड	जिला
(मुख्यालय) का नाम		
1	2	3
1	खकनार	बुरहानपुर
2	मधनगर	झाबुआ
3	राजपुर	बड़वानी
4	निवाली	बड़वानी
5	महेश्वर	खरगोन
6	गोनांव	खरगोन
7	निरसरपुर	धार
8	गंधवानी	धार
9	धरमपुरी	धार
10	तिरला	धार
11	मोहगांव	मण्डला
12	जुन्नारदेव	छिन्दवाड़ा
13	हर्द	छिन्दवाड़ा
14	मोहवानी	छिन्दवाड़ा
15	शहपुरा	छिन्दवाड़ा

.....निरन्तर.....2

1/3/11

4/ उपरोक्त व्यय भाग संख्या 41-मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 277-शिक्षा 0762 कन्या शिक्षा परिसर 11 वेतन भत्ते 21 यात्रा भत्ता 22 कार्यालय व्यय 33-अनुसूचित कार्य 34-सामग्री एवं पूर्तियों 41 छात्रवृत्ति एवं वृत्तियों वर्ष 2013-14 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5/ विभाग द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों के लिये वेतन भत्तों सहित बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा, गणवेश, पोषण आहार, अध्यापन सामग्री, साज-सज्जा सामग्री, फर्नीचर, क्रिडा सामग्री, चिकित्सा, सांस्कृतिक गतिविधियों, शैक्षणिक भ्रमण की विभाग द्वारा परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तावित नवीन दरों के आधार पर व्यय किया जायेगा।

6/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-2/2002/निमय/चार, दिनांक 30.9.2002 के द्वारा पृष्ठांकन के प्रदत्त अधिकार एवं परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 29/05/2012 के तहत जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रकाश जोगरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जून, 2014

पृष्ठां. क्र. एफ-3-1/2014/25-2
प्रतिलिपि-

- 1- निज सचिव, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
 - 2- निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 - 3- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 - 4- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल म.प्र.।
 - 5- वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल।
 - 6- संबंधित कलेक्टर, जिला म.प्र.।
 - 7- संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.
 - 8- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला म.प्र.।
 - 9- प्रभारी कम्प्यूटर शाखा- कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र.भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेब-साईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 - 10- गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

उप सचिव :

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग